

कार्यालय  
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)  
पत्रांक 645 / 12-19 दिनांक, अल्मोड़ा 31-7-2015

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय:- पन्तगांव-चमड़खान-सैलापानी (सिमलधार से सैलापानी) मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं० 11082/2015) के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपकी पत्र सं० 13/12-1 दिनांक 03.07.2015

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक 1705/18सी० दिनांक 25.07.2015 से बिन्दु सं० 1 व 4 की आपत्ति निराकरण सूचना इस कार्यालय को ऑन लाइन प्रस्तुत की गयी है। जिसे मूल में मय संलग्न सहित आपको ऑन लाइन प्रेषित किया जा रहा है तथा बिन्दु सं० 2 व 3 की आपत्ति निराकरण सूचना इस कार्यालय से ऑन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,  
/

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक / तददिनांकित,

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत  
दूरभाष :- 05966-220035 फ़ैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 1705 /18सी.

दिनांक, रानीखेत, 25/7/ 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा  
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

**विषय :-** पंतगाँव-चमड़खान-सैलापानी (सिमलधार से शैलापानी) मोटर मार्ग  
निर्माण (प्रस्ताव सं. 11082/2015)।


**संदर्भ :-** आपका पत्रांक 140/12-1(2) दिनांक 3.7.2015

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विन्दुवार आख्या  
निम्नवत है :-

1. दुगने क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वृक्षारोपण संलग्न है।
2. एन0पी0वी0 व भाग-2 प्रपत्र में हरियाली का घनत्व आपके द्वारा ठीक  
किया जाना है।
3. प्रपत्र भाग-2 आपके द्वारा ठीक किया जाना है।
4. वन भूमि में प्रभावित होने वाली वृक्षों की सूची संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आख्या अपने स्तर से नोडल  
अधिकारी, देहरादून को आन लाईन के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।



**संलग्न :-पत्रानुसार।**

  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत





चतुर्थ चरण				
1	शेषण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.870	7152.00	27678.24
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	3.870	310.00	1199.70
	(2) अन्य कार्य	3.870	200.00	774.00
	योग - चतुर्थ चरण			29651.94
पंचम चरण				
1	शेषण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.870	7152.00	27678.24
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	3.870	310.00	1199.70
	(2) अन्य कार्य	3.870	200.00	774.00
	योग - पंचम चरण			29651.94
छठम चरण				
1	शेषण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.870	7152.00	27678.24
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	3.870	310.00	1199.70
	(2) अन्य कार्य	3.870	200.00	774.00
	योग - छठम चरण			29651.94
सप्तम चरण				
1	शेषण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.870	7152.00	27678.24
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	3.870	310.00	1199.70
	(2) अन्य कार्य	3.870	200.00	774.00
	योग - सप्तम चरण			29651.94
अष्टम चरण				
1	शेषण वर्ष के उपरान्त छठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.870	7152.00	27678.24
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	3.870	310.00	1199.70
	(2) अन्य कार्य	3.870	200.00	200.00
	योग - अष्टम चरण			29077.94
नवम चरण				
1	शेषण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.870	7152.00	27678.24
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	3.870	310.00	1199.70
	(2) अन्य कार्य	3.870	200.00	774.00
	योग - नवम चरण			29651.94
दसम चरण				
1	शेषण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	3.870	7152.00	27678.24
	अन्य कार्य			
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	3.870	310.00	1199.70
	(2) अन्य कार्य	3.870	200.00	774.00
	योग - दसम चरण			29651.94
	कुल व्यय			562815.37
	अथवा			562000.00


  
 प्रमुख अभियंता
 
  
 प्रमुख अभियंता



## प्रपत्र-19


परियोजना विवरण :- पन्तगाँव-चमडखान-शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार(सिमलधार से शैलापानी तक मिलान)

## प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण


प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 3.3.2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सिविल बेनाप भूमि, वन भूमि, आरक्षित भूमि, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई -


प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।


क्र सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक/कम्पार्टमेंट/खसरा सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग						योग	
				20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80		80-90
1				-	-	-	-	-	-	-	-
योग											
2	सिविल सोयम		चीड Pimuse (Pime)	90	37	8	3	1	-	-	139
योग											
3	वन पंचायत भूमि			-	-	-	-	-	-	-	-
योग											
4	नाप भूमि	-	चीड Pimuse (Pime)	20	5	-	-	-	-	-	25
कुल योग				110	42	8	3	1			164

  
राजेंद्र अधिकारी  
वन प्रचार बलमोड़ा


प्रभागीय वनाधिकारी


  
वन प्रचार अधिकारी  
राजेंद्र विभाग  
बिजा-बलमोड़ा


  
वन प्रचार अधिकारी  
बलमोड़ा

  
वन प्रचार अधिकारी  
बलमोड़ा

  
वन प्रचार अधिकारी  
बलमोड़ा



  
बलमोड़ा वनाधिकारी  
बिजा बलमोड़ा

  
बलमोड़ा वनाधिकारी  
बिजा बलमोड़ा

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति -- पन्नावन -- चम्पारण -- त्रौलाफानी क्षेत्र का विस्तार (सिंहलधार से सैलाफानी तक मिलान)
- (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र - उत्तराखण्ड
- (ii) जिला - आंचलिक
- (iii) जिला वन प्रभाग - आंचलिक वन प्रभाग आंचलिक
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 1.935 हे०
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथिति: - सिविल एवं सैन्य वन भूमि
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: - चौड़ वृक्ष
- (i) वन का प्रकार - डेन्स फॉरेस्ट
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व - 15
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - संलग्न है,
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - कोई नहीं
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - भूक्षरण की संभावना नहीं
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 10.00 कि० मी०
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: - विशेष नहीं
- (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: - महत्वपूर्ण वन्य जीव नहीं
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) - नहीं
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) - नहीं
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) - नहीं
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे - नहीं
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) - नहीं
23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें: - वर्तमान में कोई नहीं
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य हैं और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। - अकारिहार्य एवं न्यूनतम वन भूमि है।



(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ~~है~~।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है  
(हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही ~~नहीं~~

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। ~~क्षितिज एवं क्षेत्र वन क्षेत्र~~

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। ~~क्षितिज एवं क्षेत्र वन क्षेत्र~~

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। ~~है~~।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : ~~संलग्न है~~।

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों ~~स्वीकृति संस्वीकृति की जाती है~~

स्थान: ~~अरमोड़ा~~

तारीख: 10-4-2015

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा  
प्रशासकीय वनाधिकारी,  
अरमोड़ा वन प्रभाग, अरमोड़ा